सनदी लेखाकार या लागत (कॉस्ट) लेखाकार द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने शाखाओं द्वारा किए गए सरकारी लेनदेनों से संबंधित अभिलेखों की
जांच की है और एजेंसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि ₹
(रुपये) की लेखा-परीक्षा की गई है और केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व
बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेनदेनों की दैनिक नामावली में दर्ज किए
गए अनुसार और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार तथा बैंक की बहियों में दर्ज किए गए
अभिलेख के अनुसार पेंशन के अलावा भुगतानों के संबंध में लेनदेनों की मूल्य को और 'प्राप्तियों और
पेंशन के भुगतान के संबंध में लेनदेनों की संख्या को सही पाया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि
लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन के दावों में वर्तमान दावा में एक बार ही शामिल किया गया है।

- 2. यह भी सत्यापित किया गया है कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों (कर और गैर कर दोनों) के संग्रहण को विधिवत स्क्रोल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया तथा एजेंसी कमीशन का किए जा रहे दावा की अविध के लिए बैंक के पास स्क्रोल के लिए कोई भी लेनदेन लंबित नहीं है।
- 3. साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और उपर्युक्त एजेंसी कमीशन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्तमान अनुदेशों के अनुसार पात्र लेनदेनों के आधार पर ही की गई है और प्राप्ति लेनदेन बैंक के सभी कर देयताओं से संबंधित लेनदेनों से अलग है।

क्र.सं.	माह	पेंशनरों की संख्या
1		
2		
3		

हस्ताक्षर, नाम, पंजीकरण सं. और सनदी लेखाकार या लागत (कॉस्ट) लेखाकार का पता